



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2046]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2009/अग्रहायण 16, 1931

No. 2046]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2009/AGRAHAYANA 16, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3122(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कृत्यों, की क्रिया-न्वयन के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन सशक्त अधिकारियों को पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता प्रदान करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ) तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की सरणी में क्रम संख्यांक 13 और 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

सारणी

| क्र. सं. | प्रयोगशाला का नाम | सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम | लागू और कब तक मान्य |
|----------|---|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| " 13 | गदक लेब प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. एच 54, एडोशनल एमआईडीसी, कुदाल, डाक-नंरुर देवुलमडो, तालकुदाल जिला-सिंधुदुर्ग-416525 (महाराष्ट्र) | (1) श्री गुरुदास आर. गिंडे (2) श्री शरद बी. गावडे (3) श्री कैलास बी. चितलकर | 07-12-2009 से 06-12-2014; |
| 14 | पैसस अश्वमेध इंजैनिगर्स एण्ड कंसल्टेंट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सर्वे सं. 102, प्लॉट सं. 26, कंचनदीप लॉन्स, पांडव नगरी के पास, वडाला पथार्दी रोड, इंदिरा नगर, नर्सिक 422009 (महाराष्ट्र) | (1) श्रीमती अपर्णा सुनील फरांदे (2) श्री विजय पी. ताकरे (3) श्री अश्विंद बी. गायकवाड | 07-12-2009 से 06-12-2014;" |

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई और पर्यावरणीय संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 और का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2009

S.O. 3122(F). In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognizes the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely:—

In the Table to the said notification for serial numbers 13 and 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

TABLE

| Serial number | Name of the Laboratory | Name of the Government Analyst | Recognition with effect from and valid up to |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 13 | Cladark Lab Pvt. Ltd., Plot No. H-54, Addl. M.I.D.C. Kudal, Post-Nerur Dewoolwada, Tal-Kudal District - Sindhudurg-416525 (Maharashtra) | (1) Mr. Gurudas R. Ginde (2) Mr. Sharad B. Gawde (3) Mr. Kailas V. Chitalkar | 7-12-2009 to 6-12-2014 |
| 14 | M/s. Ashwamedh Engineers and Consultants Co. op. Soc. Ltd. Survey No. 102, Plot No. 26, Opposite Kanchan Deep Lawns, Near Pandav Nagari, Wadala Pathardi Road, Indira Nagar, Nashik-422009 (Maharashtra) | (1) Mrs. Aparna Sunil Pharande (2) Mr. Vijay P. Thakare (3) Mr. Arvind B. Gaikwad | 7-12-2009 to 6-12-2014 |

[F. No. Q. 15018/7/2003-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended *vide* notification numbers S.O. 1539(E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55 (F), dated 9th January, 2008, S.O. 428(F), dated 4th March, 2008, No. S.O. 865 (E), dated the 11th April, 2008, No. S.O. 1894 (E), dated the 31st July, 2008, No. S.O. 2728 (E), the dated the 25th November, 2008, S.O. 1356(L) dated the 27th May, 2009, No. S.O. 1802(F), dated the 22nd July, 2009 and No. S.O. 2399(F), dated the 18th September, 2009.